म.प्र. का उच्च न्यायालय, जबलपुर

रिट याचिका सं. 2800/ 1996

याचिकाकर्ता	लक्ष्मण प्रसाद मिश्रा आयु 45 वर्ष, पिता श्री बलदेव प्रसाद मिश्रा, निम्न श्रेणी लिपिक, कृषि उपज मंडी बेमेतरा, जिला दुर्ग।

बनाम

उत्तरवादी	कृषि उपज मंडी समिति, बेमेतरा, तहसील बेमेतरा जिला दुर्ग।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 एवं 227 के तहत याचिका

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छ.ग. का उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

रिट याचिका सं. 2800/ 1996

याचिकाकर्ता लक्ष्मण प्रसाद मिश्रा

बनाम

उत्तरवादी कृषि उपज मण्डी समिति बेमेतरा

एकल पीठ **:** माननीय न्यायमूर्ति सतीश के**.** अग्निहोत्री ।

श्री रवींद्र अग्रवाल, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की ओर से।
सुश्री समता जैन अधिवक्ता, श्री आर.एस. मरहास अधिवक्ता की ओर से, उत्तरवादी के लिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मौखिक आदेश

(दिनांक – 17/04/2006)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री द्वारा पारित किया गया है।

1. याचिकाकर्ता ने इस याचिका के माध्यम से दिनांक 1.7.1996 (अनुलग्नक पी/3) के आक्षेपित आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को नकेदार के पद पर पदावनत कर दिया गया था, क्योंकि याचिकाकर्ता के पास निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता अर्थात मैट्रिक पास नहीं था ।

2. याचिकाकर्ता को प्रारंभ में 1.7.1973 को भृत्य / चौकीदार के पद पर नियुक्त किया गया था, तत्पश्चात 9.11.1976 को उसे नाकेदार के पद पर पदोन्नत किया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता को निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर दिनांक 14.5.1981 (अनुलग्नक पी/1) को पदोन्नत किया गया, लेकिन इस शर्त के साथ कि यदि याचिकाकर्ता एक वर्ष के भीतर मैट्रिक परीक्षा का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसे नाकेदार के पद पर पुनः पदावनत कर दिया जाएगा। याचिकाकर्ता एक वर्ष की अवधि में आवश्यक मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाया। सुनवाई के दौरान, उत्तरवादी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 18.1.1983 का एक दस्तावेज़ प्रस्तुत किया गया, जिसमें दर्शाया गया था कि पूर्व में पारित पदोन्नति आदेश को रद्द कर दिया गया

था और याचिकाकर्ता को नाकेदार के पद पर पदावनत कर दिया गया था। दिनांक 18.1.1983 का यह आदेश न तो उत्तरवादी के जवाबदावा के साथ दाखिल किया गया था और न ही इसकी प्रामाणिकता को शपथपत्र द्वारा समर्थित किया गया था। आदेश दिनांक 18.1.1983 के रहते हुए भी, आक्षेपित आदेश दिनांक 1.7.1996 पारित किया गया, जो इस याचिका में चुनौती के अधीन है। हालाँकि, याची को पदोन्नति आदेश दिनांक 14.5.1981 की शर्त संख्या 3 तथा आदेश दिनांक 18.1.1983 के विपरीत लगभग 15 वर्षों तक निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर कार्य करने की अनुमति दी गई। उत्तरवादी अपनी नींद से जागकर दिनांक 1.7.1996 को बिना याची को सुनवाई का अवसर दिए या बिना कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए, याचि को पदावनति का आदेश (अनुलग्नक पी/3) पारित किया ।

3. याचिकाकर्ता के विद्वत् अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दिनांक 1.7.1996 का आदेश प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) और कार्यवाही में निष्पक्षता (Fair Play in Action) के मूल सिद्धांतों का पालन किए बिना पारित किया गया था। आक्षेपित आदेश से दीवानी परिणाम (Civil Consequences) उत्पन्न होते हैं, जो याचिकाकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं तथा संबंधित व्यक्ति को हानि (Prejudice) पहुँचती है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी कर्मचारी के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला आदेश, प्राकृतिक न्याय और कार्यवाही में निष्पक्षता के सिद्धांतों का पालन किए बिना पारित नहीं किया जा सकता। **भगवान शुक्ला बनाम भारत संघ एवं अन्य** (एआईआर 1994 एससी 2480) में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मत दिया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "अपीलार्थी को स्पष्ट रूप से दीवानी परिणाम भुगतने पड़े हैं, किंतु उसे वेतन कटौती के विरुद्ध कारण बताने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। उसे तो अपने वेतन में कमी किए जाने से पूर्व कोई पूर्व सूचना तक प्राप्त नहीं हुई। विभाग द्वारा उसके मूल वेतन में कटौती का आदेश उसकी पीठ पीछे बिना किसी विधिक प्रक्रिया के पारित किया गया। यह न्याय के मूलभूत सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन है, जिसके कारण अपीलार्थी को बिना किसी सुनवाई के भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है। कोई भी आदेश, जिससे किसी कर्मचारी को दीवानी परिणाम भुगतने पड़ते हों, उसे बिना संबंधित व्यक्ति को सूचित किए एवं उसे सुनवाई का अवसर दिए पारित नहीं किया जाना चाहिए।"

4. श्रीमती समता जैन, उत्तरवादी पक्ष की विद्वत् अधिवक्ता, श्री आर.एस. मरहास के वकालतनामा पर उपस्थित होकर, इस तथ्य को स्वीकार करती हैं कि याचिकाकर्ता को पदोन्नति आदेश दिनांक 14.05.1981 में शर्त संख्या 3 के होते हुए भी 15 वर्षों तक कार्य करने की अनुमति दी गई थी, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता को एक वर्ष के भीतर मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करना

आवश्यक था। यह भी स्वीकार किया गया कि आक्षेपित आदेश याचिकाकर्ता को कोई कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किए बिना अथवा उसे सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना पारित किया गया था, जबकि याचिकाकर्ता ने निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर 15 वर्ष से अधिक समय तक कार्य करके इस पद पर एक अधिकार अर्जित कर लिया था।

5. पक्षकारों के विद्वत अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने तथा याचिका के साथ संलग्न अभिलेखों का परिशीलन करने के उपरांत, यह निर्विवाद रूप से स्थापित होता है कि याचिकाकर्ता को निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर इस शर्त के साथ पदोन्नत किया गया था कि उसे एक वर्ष की अवधि में मैट्रिक परीक्षा का प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा अन्यथा उत्तरवादी ने स्वयं भी अपने दिनांक 14.05.1981 के आदेश का पालन नहीं किया, जो एक वर्ष के भीतर मैट्रिक प्रमाणपत्र प्राप्त करने का उपबंध करता था, बल्कि याचिकाकर्ता को लगभग 15 वर्षों तक कार्य करने की अनुमति दे दी। यदि उत्तरवादी द्वारा सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया गया दिनांक 18.01.1983 का आदेश, जो शपथपत्र रहित है, स्वीकार कर लिया जाए तो दिनांक 01.07.1996 का आक्षेपित आदेश पारित करने का कोई औचित्य नहीं था जिसके अंतर्गत याची को नाकेदार के पद पर पदावनत किया गया वह भी याची को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना जबकि याची ने दिनांक 14.05.1981 के नियुक्ति आदेश के आधार पर तथा तत्पश्चात् निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर 15 वर्षों तक निरंतर सेवा करने के फलस्वरूप उक्त पद को धारण करने का वैध अधिकार अर्जित कर लिया था। आक्षेपित आदेश ने याचिकाकर्ता को हानि पहुँचाई है तथा यह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने **गजानन एल. परनेकर बनाम गोवा राज्य एवं अन्य (1999) 8 एससीसी 378** के मामले में, जहाँ समान तथ्य विद्यमान थे तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों एवं कार्यवाही में निष्पक्षता का स्पष्ट उल्लंघन हुआ था, यह अभिनिर्धारित किया था कि सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना लाभ को वापस नहीं लिया जा सकता था।

6. उपर्युक्त कारणों से, याचिका सफल होती है और तद्नुसार स्वीकार की जाती है। दिनांक 1.7.1996 का आक्ष्ेापित आदेश रद्द किया जाता है। याची सभी परिणामिक लाभों का हकदार है वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही /-

न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।"

Translated By Yashpal Singh

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur